विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/17

श्री सुदामा कृष्ण गुप्ता — आवेदक
पुराना बस स्टेण्ड उत्सव वाटिका,
शिवपुरी (म.प्र.)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक — अनावेदक
(संचा./संधा.) संभाग–1
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 11.07.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक जी/टी. 64/2017 श्री सुदामा कृष्ण गुप्ता विरूद्ध उप महाप्रबंधक, (संचा./संधा.)संभाग–1, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. शिवपुरी में पारित आदेश दिनांक 17.03.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–07/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 8.06.2017 को प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें अनावेदक की ओर से श्री सुजीत कुमार मिश्रा, कनिष्ठ यंत्री उपस्थित हुए तथा आवेदक उपस्थित नहीं रहे।

04 आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 21.6.2017 नियत की गई तथा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम नौहरी कला शहरी क्षेत्र में अथवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, इसकी पुष्टि हेतु मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करें।

05 दिनांक 21.6.2017 को सुनवाई के दौरान अनावेदक अनुपस्थित रहे तथा आवेदक द्वारा अपने पक्ष में लिखित वहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रतिलिपि अनावेदक को भेजते हुए सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 3.7.2017 नियत की गई।

06 आवेदक द्वारा दिनांक 3.7.2017 को तर्क के दौरान बताया कि उनका कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ से विद्युत देयक दिये जाने की लिखित शिकायत पर कोई निर्णय नहीं दिया गया।

07 आवेदक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 के लिए लेखा अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई रिकवरी रूपये 19332/– विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत कालवाधित है, इसलिए यह वसूली करने योग्य नही है तथा उनका विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित रहने पर ऊर्जा प्रभार लिया गया जो वापिस दिलाया जाए।

08 आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि अनावेदक द्वारा उनके परिसर में स्थापित मीटर में एक फेज पर शून्य वोल्टेज दिखाने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत रूपये 27611/– का पूरक बिलिंग की गई। परन्तु उपभोक्ता फोरम को की गई शिकायत की सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा यह पाया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत प्रकरण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़ किया जाना नहीं पाया गया। अतः धारा 126 में बनाये गये प्रकरण को हटाते हुए मीटर एक फेज पर शून्य बताने के कारण पूरक बिल रूपये 27611/– को उचित मानते हुए निर्णय दिया गया जिसे निरस्त किया जाए।

09 आवेदक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त राशि की वसूली हेतु अनावेदक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनाये प्रकरण के विरूद्ध राशि जमा कराने पर 40 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट देने का नोटिस जारी किया है। अतः इस राशि को फोरम के निर्णय के अनुसार निरस्त किया जाना चाहिए। (ओई–1)

10 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि उनका कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र मे ंस्थित है, परन्तु उन्हें शहरी क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक दिए जा रहे हैं। इसके संबंध में उनके द्वारा म.प्र. शासन का राजपत्र भाग–2 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30. 5.2014 प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार ग्राम नौहरी खुर्द को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया है, जबकि उनका विद्युत कनेक्शन ग्राम नौहरी कला में स्थित है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। (ओई–5)

11 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि आवेदक के विरूद्ध 27611/– की वसूली उनके परिसर में स्थापित मीटर के परीक्षण के दौरान वाई फेज पर शून्य वोल्टेज बता रहा था जिसके कारण एक फेज के विरूद्ध कोई भी विद्युत खपत मीटर में दर्ज नहीं हो रही थी (ओई–2) तथा एमआरआई रिपोर्ट (ओई–3) के अनुसार माह अक्टूबर 2015 से ही मीटर वाई फेज पर शून्य खपत दर्शाया रहा था। अतः अक्टूबर 2015 से जुलाई 2016 तक (मीटर परीक्षण करने की दिनांक तक) का पूरक बिल 27611/– दिया गया। (ओई–2 एवं ओई–3)

12 अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण करने पर प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनाना बताया (ओई–2) परन्तु उनके द्वारा पूरक बिल बिना किसी पेनाल्टी के नार्मल टैरिफ के आधार पर बनाया गया। यदि धारा 126 के अंतर्गत

प्रकरण बनाया जाता तब अधिनियम के अनुसार सामान्य टैरिफ के दो गुना दर पर पूरक बिल दिये जाने का प्रावधान है।

13 अनावेदक द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता फोरम द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि मीटर द्वारा एक फेज पर खपत दर्शाना बंद कर दिया गया था तथा मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़ करना नहीं पाया गया, इसलिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 का प्रकरण नहीं मानकर अपना निर्णय दिया। यदि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में होता तो फोरम को उसे सुनने का अधिकार नहीं होता, परन्तु आवेदक के विरूद्ध निकाली गई रिकवरी यथावत रखी गई।

14 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आडिट पार्टी द्वारा वर्ष 2013–14 के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट जनवरी, 2016 में प्रस्तुत की गई थी तथा जिसके बाद ही आवेदक के विरूद्ध आडिट रिकवरी जो कि अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के बीच की है, की जानकारी प्राप्त हुई अतः आडिट रिपोर्ट मिलने के पश्चात ही आवेदक के विरूद्ध यह राशि की वसूली की प्रक्रिया 2 वर्ष के भीतर ही प्रारंभ कर दी गई । अतः यह राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार कालवाधित नहीं है। अर्थात् दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही उक्त राशि की वसूल करने की प्रक्रिया अनावेदक द्वारा प्रारंभ कर दी गई, अतः उक्त राशि वसूल करने योग्य है।

15 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा बताया गया कि आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी की वसूली हेतु प्रथम बार दिनांक 2.12.2016 को आदेश जारी किया गया था, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा नहीं करने पर उक्त राशि को जून 2017 के बिल में जोड़कर बिल जारी किया गया।

16 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन शहरी क्षेत्र में आता है क्योंकि उनका परिसर शिवपुरी शहर से 8 किलोमीटर की परिधि में है तथा उन्हें 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बालाजीधाम से निकलने वाले एसएएफ फीडर से विद्युत प्रदाय दिया जा रहा है इसलिए उन्हें शहरी क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ के अनुसार बिल दिये जा रहे हैं, जिसमें किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।

17 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित रहने क अवधि में इनर्जी चार्जेस की वसूली विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ एलवी–4 के अंतर्गत नियम एवं शर्तें के बिन्दु क्रमांक –स के प्रावधान के अनुसार ही न्यूनतम प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार लिया गया है।

18 उभय पक्षों के तर्क सुनने के बाद अनावेदक को आडिट पार्टी की रिपोर्ट की प्रति भेजने हेतु तथा एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया तथा प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया।

19 दिनांक 5.7.2017 को अनावेदक द्वारा आडिट पार्टी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ई–मेल द्वारा प्रेषित की गई। (ओई–4)

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं सनुवाई के दौरान दिये गये तर्कों को सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते हैं –

अ आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्राम नोहरी कला में स्थापित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है।

ब दिनांक 10.8.2016 को आवेदक के परिसर का निरीक्षण करने पर मीटर एक फेज पर शून्य वोल्टेज बता रहा था जिसके कारण उस फेज पर विद्युत खपत दर्ज होना नहीं पाया गया। (ओई–2)

स एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2015 से ही मीटर वाई फेज पर शून्य खपत दर्शाना पाया गया था जिसके अनुसार अक्टूबर 2015 से जुलाई 2016 तक की अवधि में अनावेदक द्वारा उन्हें नार्मल टैरिफ से 27611/– का पूरक बिल दिया तथा प्रकरण को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत बनाया गया। उपभोक्ता फोरम द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक जी/टी– 64/17 की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अनुसार नहीं है क्योंक आवेदक द्वारा मीटर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना नहीं पाया गया तथा मीटर तकनीकि कारण से त्रुटिग्रस्त होकर एक फेज पर खपत दर्ज नहीं कर रहा था अतः फोरम द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 को विलोपित कर दिया गया, परन्तु बिल को यथावत रखा गया जो कि मीटर द्वारा एक फेज पर खपत दर्ज ना करने के कारण था जो कि नियमानुसार उचित है। (ओई–2)

द आवेदक के वर्ष 2013–14 के लेखा अंकेक्षण करने पर आडिट पार्टी द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि में गलत टैरिफ से बिल किये जाने के कारण जो कम राशि ली गई थी उसको संशोधित किया गया, आडिट दल द्वारा यह पाया गया था कि उपभोक्ता से इनर्जी चार्जेस की राशि रू. 3.85 प्रति यूनिट के दर से लिया जा रहा था जबकि प्रचलित एवं उनके ऊपर लागू टैरिफ के अनुसार उनसे रूपये 5.20 प्रति यूनिट इनर्जी प्रभार लिया जाना था अतः जिसके अंतर की राशि रूपये 21471/– की रिकवरी निकाली गई जो कि नियमानुसार उचित है।

20 उपरोक्तानुसार उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क एवं लिखित वहस के अवलोकन से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहिले विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 एवं आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश आदि का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार –

i विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2)

56(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता से शोध्य (वसूली योग्य) कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है दो वर्ष की कालावधि के पश्चात् वसूल किये जाने योग्य नहींहोगी जब तक ऐसी रकमसप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो, और लायसेन्सी विद्युत की सप्लाई विच्छेद नहीं करेगा/ नहीं काटेगा।

ii विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 9.16

9.16 यदि उपभोक्ता अपने संयोजन को अस्थाई रूप से छः माह तक की अवधि हेतु विच्छेदित कराना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों, जैसे कि स्थायी प्रभार (fixed charge), न्यूनतम प्रभार (minimum charge), मापयन्त्र प्रभार (metering charges) इत्यादि के अग्रिम भुगतान करने होंगे। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा की प्राप्ति हेतु उपभोक्ता को विच्छेदन (disconnection)/संयोजन (connection) प्रभारों के भुगतान भी करने होंगे। 'अनुरोध पर अस्थाई विच्छेदन (disconnection on request)' की अवधि, उपभोक्ता से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एवं आवश्यक प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने पर बढ़ाई भी जा सकती है।

iii आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के टैरिफ आदेश की सामान्य निबंधन एवं शर्त

"उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रयाभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं ।"

उपरोक्त के अनुसार स्थाई प्रभार के अलावा न्यूनतम वार्षिक खपत 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति की बिलिंग किये जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, लिखित वहस एवं तर्कों से यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार किसी उपभोक्ता से वसूली योग्य कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः (became first due) शोध्य हो गई है तथा दो वर्ष की कालावधि के पश्चात वसूल किये जाने योग्य नहीं होगी जब तक ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो। इस प्रकरण में सर्वप्रथम बार आडिट पार्टी द्वारा वर्ष 2013–14 के लेखा में गलत टैरिफ लगाये जाने के कारण अंतर की राशि रूपये 21471/– वसूली योग्य दर्शाई गई, जिसको कि उनके द्वारा आडिट पार्टी की रिपोर्ट दिनांक 11.1.2016 को दर्शाया गया, अर्थात प्रथम बार यह राशि वसूल करने योग्य इसी तरीख से मानी जाएगी। आडिट रिकवरी को वसूल करने हेतु अनावेदक द्वारा दिसंबर 2016 को वसूली हेतु आदेश जारी किया गया जिसका भुगतान आवेदक द्वारा न करने पर जून 2017 के विद्युत देयक में उक्त राशि को जोड़कर देयक जारी किया गया। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक को उक्त राशि की जानकारी मिलने पर दो साल में ही राशि वसूल करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई।

ब विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के विरूद्ध अपीलीट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक 202 एवं 203 वर्ष 2006 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. विरूद्ध मेसर्स

सिसोदिया मारवल एवं ग्रेनाईट्स प्रा.लि. में पारित आदेश के पैरा 17 में निम्नानुसार राय दी गई, जिससे विद्युत लोकपाल भी सहमत हैं।

"Thus, in our opinion, the liability to pay electricity charges is created on the date electricity is consumed or the date the meter reading is recorded or the date meter is found defective or the date theft of electricity is detected but the charges would become first due for payment only after a bill or demand notice for payment is sent by the licensee to the consumer. The date of the first bill/demand notice for payment, therefore, shall be the date when the amount shall become due and it is from that date the period of limitation of two years as provided in Section 56(2) of the Electricity Act, 2003 shall start running."

स आवेदक द्वारा यह कहा जाना कि उनका विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित होने पर इनर्जी प्रभार की वसूली नहीं की जा सकती उचित नहीं है। इस संबंध में टैरिफ आदेश से यह स्पष्ट है कि आवेदक को न्यूनतम 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति किया जाना चाहिए जबकि उनके द्वारा वर्ष भर में इतनी खपत की जाए अथवा नहीं। वार्षिक न्यूनतम खपत से अधिक खपत दर्ज करने पर हर वर्ष उसका समायोजन उनके विद्युत देयक में किये जाने का प्रावधान है जो निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन एवं शर्तों के बिन्दु 5–स में दिया गया है। अतः आवेदक मांग उचित नहीं है। विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय–2 की कंडिका 2.1(बीबी) में स्थाई प्रभार को प्ररिभाषित किया गया जो निम्नानुसार है –

2.1(बीबी) "स्थाई प्रभार (Fixed Charge)" किसी बिलिंग अवधि के संदर्भ में तात्पर्य संविदा मांग (contract demand) या अधिकतम मांग (maximum demand) पर उपभोक्ता आधारित आरोपित प्रभारो ं से है तथा इसकी गणना आयागे द्वारा अनुमोदित विद्युत–दर आदेश (Tariff Order) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

उपरोक्त के अनुसार न्यूनतम चार्जेज स्थाई प्रभार के अंतर्गत आते हैं अतः आवेदक का विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित होने की अवधि में भी इनर्जी प्रभार की बिलिंग की जाना टैरिफ प्रावधान के अनुकूल है।

21 निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन एवं शर्तों की कंडिका 1 में ग्रामीण क्षेत्र को मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ–13/05/13/2006 दिनांक 25.3.2006 में परिभाषित किया गया है। (ओई–6) इस अधिसूचना में शहरी क्षेत्र की सूची जारी की गई तथा इस सूची में शामिल शहरी क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र माने गये हैं, जिसके अनुसार आवेदक का विद्युत कनेक्शन नोहरी कला में स्थापित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। अतः उन्हें वर्ष 2013–14 हेतु म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तालिका 4–ए में दर्शाई गई ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित दर के अनुसार बिलिंग किया जाना चाहिए।

22 अनावेदक द्वारा यह आपत्ति ली गई कि आवेदक द्वारा कभी भी पूर्व में शहरी क्षेत्र हेतु टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक देने बाबत् आपत्ति नहीं ली। अतः उनकी यह मांग कालवाधित होने के कारण विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध में आवेदक द्वारा सर्व प्रथम दिनांक 28.12.2016 को उपभोक्ता फोरम के समक्ष गलत टैरिफ लगाने की शिकायत की थी। इस संबंध में लिमिटेशन एक्ट 1963 का अवलोकन किया गया, जिसकी कंडिका 113 के अनुसार 3 वर्ष से पूर्व का क्लेम नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक को वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि के लिए लागू एलवी–4.1ए में ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित दर के अनुसार विद्युत देयकों को संशोधित किया जाना उचित होगा।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि के दौरान आवेदक को दिये गये विद्युत देयकों को ग्रामीण क्षेत्र हेतु समय–समय पर लागू टैरिफ के अनुसार संशोधित करें।

ब इस अवधि में आवेदक द्वारा जमा की गई अधिक राशि का समायोजन उनके अगले विद्युत देयकों में किया जाए।

स फोरम का आदेश आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है।

द उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

23 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल